

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग।

सेवा में,

- | | | |
|---|--|--|
| 1- प्रमुख सचिव
माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन। | 2- प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 3- प्रमुख सचिव
प्रावधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। |
| 4- प्रमुख सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 5- प्रमुख सचिव
सूचना विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन। | 6- निदेशक
आकाशवाणी
लखनऊ। |
| 7- निदेशक
दूरदर्शन, लखनऊ। | 8- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार। | |

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

लखनऊ :: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम व जनहित गारन्टी अधिनियम के प्रचार-प्रसार के संबंध में।


महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 व जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 पूरे प्रदेश में प्रभावी है।

- 2- सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित विभिन्न मार्गदर्शिकाएं समय-समय पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गयी है, जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 3- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अधीन अभी तक विभिन्न विभागों की 140 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी है।
- 4- उक्त दोनों अधिनियम का प्रचार-प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है और समाज के निम्नतम स्तर (Grassroot Level) तक इसकी पहुँच बनानी है। अतः उचित होगा कि प्राथमिक पाठशालाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादी की दीवारों पर इस अधिनियम को चस्पा किया जाये। इन्टरमीडिएट, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालय स्तर पर भी उक्त अधिनियम से संबंधित परिचर्चा, व्याख्यान व कार्यशाला आयोजित किया जाना उचित होगा। अधिनियम के बारे में अधिक जानकारी हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग में रिसोर्स व्यक्ति (Resource Person) के रूप में दो वरिष्ठ शोध अधिकारी यथा डा0 विपिन कुमार (email ID: vipinupgov@rediffmail.com; mobile-9335260726) तथा डा0 राहुल सिंह (email ID: rahulupgov@gmail.com; mobile:9450656526) प्रगतिशील हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त दोनों अधिनियम का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जाय। उक्त दोनों अधिनियम से संबंधित जानकारी व विभिन्न शासनादेश प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय वेबसाइट (www.adminreform.up.nic.in) पर उपलब्ध है।

भवदीय,


(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।